

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राज0जयपुर  
क्रमांक: ई-18/एम/144/एम.ए.सी.पी/जोन-जोधपुर/2024/ दिनांक :-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: एफ.15(1)एफ.डी./नियम/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.15(88)एफडी/(रूल्स)/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ.15(1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री प्रमोद नाथानी, कनिष्ठ सहायक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खौड ब्लॉक रानी, जिला पाली जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 15.01.2015 है को 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 15.01.2024 से पे मेट्रिक्स के लेवल-08 में एम.ए.सी.पी. एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

उक्त कार्मिक का वेतन नियतन संबंधित नियन्त्रक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0, जयपुर

क्रमांक: ई-18/एम/144/एम.ए.सी.पी/जोन-जोधपुर/2024/ 72  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 12/04/2024

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खौड ब्लॉक रानी, जिला पाली।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. श्री प्रमोद नाथानी, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राज0, जयपुर

RajKaj Ref  
5931541



Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar  
Sharma  
Designation: Director  
Date: 2024.04.10 17:18:24 IST  
Reason: Approved